संख्या-01/2019/403/62-1-2019-1106/2018

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 16 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन भूगर्भ जल विभाग में चालू विभिन्न योजनाओं हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-08जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू, दिनांक 03 अप्रैल, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन चालू विभिन्न योजनाओं हेतु राजस्व मद में रू0 8120.50 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रू0 238.50 लाख इस प्रकार कुल प्रावधानित धनराशि रू0 8359.00 लाख में मानक मद संख्या-14 मोटर गाडियों का क्रय मद में प्रावधानित धनराशि रू0 15.00 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 8344.00 लाख (रूपया तिरासी करोड़ चवालीस लाख मात्र) को निम्नलिखित विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(अ) राजस्व पक्ष

1- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-03भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण ।"

अनुदान संख्या-13 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	01-वेतन	5510.00	5510.00
2	02-मजदूरी	25.00	25.00
3	03-मंहगाई भत्ता	826.50	826.50
4	04-यात्रा भत्ता	20.00	20.00
5	05-स्थानातरण यात्रा व्यय	5.00	5.00
6	06-अन्य भत्ते	2.50	2.50
7	08-कार्यालय व्यय	70.00	70.00
8	09- विदयुत-देय	25.00	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	15.00	15.00
11	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15.00	15.00
12	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	3.00
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	70.00	70.00
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00	30.00
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	50.00	50.00
16	18-प्रकाशन	50.00	50.00
17	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10
18	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	2.00
19	29-अनुरक्षण	25.00	25.00
20	42-अन्य व्यय	55.00	55.00
21	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	1.00
22	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00
23	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
24	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
25	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	20.00
26	49-चिकित्सा व्यय	45.00	45.00
27	51-वर्दी व्यय	2.00	2.00
28	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	351.40	351.40
29	55-मकान किराया भत्ता	300.00	300.00
30	56-नगर प्रतिकर भत्ता	35.00	35.00
31	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.00	30.00
	योग	7597.50	7597.50

2- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-08 शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटरहार्वेस्टिंग प्रणाली ।"

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	08-कार्यालय व्यय	1.00	1.00
2	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	1.00
3	18-प्रकाशन	1.50	1.50
	योग	3.50	3.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-09 भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग ।"

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	08-कार्यालय व्यय	5.00	5.00
2	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	3.00
3	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	160.00	160.00
4	18-प्रकाशन	4.00	4.00
5	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00
6-	29-अनुरक्षण	2.00	2.00
	योग	175.00	175.00

4-"लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-11-भूजल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना।"

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	08-कार्यालय व्यय	3.50	3.50
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00
3	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	2.50
4	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
5	18-प्रकाशन	4.00	4.00
6	42-अन्य व्यय	5.00	5.00
	योग	20.00	20.00

5-"लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-12-राज्य भूजल संरक्षण मिशन।"

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	08-कार्यालय व्यय	30.00	30.00
2	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.50	5.50
3	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
4	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	185.00	185.00
5	18-प्रकाशन	30.00	30.00
6	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00
7	42-अन्य व्यय	57.00	57.00
8	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	1.00
	योग	324.50	324.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ब) पूंजीगत पक्ष

1- ''लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-04-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण ।''

अनुदान संख्या-13 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	14-मोटर गाडियों का क्रय	15.00	-
	योग-	15.00	-

2- ''लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-06-शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।''

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	25-लघु निर्माण कार्य	96.50	96.50
	योग-	96.50	96.50

3- ''लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-07-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण ।''

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	25-लघु निर्माण कार्य	60.00	60.00
	योग-	60.00	60.00

4- ''लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-17-राज्य भूजल संरक्षण मिशन।''

क्रं0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में बजट प्रावधान	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	25-लघु निर्माण कार्य	67.00	67.00
	योग-	67.00	67.00
	पूंजीगत पक्ष का योग-	238.50	223.50
	राजस्व पक्ष का योग-	8120.50	8120.50
	राजस्व* पूंजीगत का कुल योग-	8359.00	8344.00

(रूपये तिरासी करोड़ चवालीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण, व्यय प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) मानक मद संख्या- 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाएगी। तदनुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिकारियों को आवंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जाय।

(6) विभिन्न लेखानुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन विभिन्न लेखाशीर्षकों/मदों के अन्तर्गत कतिपय में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनीता सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या-01/2019/403(1)/62-1-2019, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(3) वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
(4) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(6) निदेशक, सूचना, उ0प्र0 ।
(7) एन0आई0सी0 की प्रति
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in